रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 130] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई, 14 1970/आषाढ़ 23, 1892

No. 130] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 1970/ASADHA 23, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 14th July, 1970

G.S.R. 1059/Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3C) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugar (Price Determination) Order, 1970, namely:—

1. This Order may be called the Sugar (Price Determination) Eighth Amendment Order, 1970.

2. In Schedule II to the Sugar (Price Determination) Order, 1970,—

(1) under the heading "East Uttar Pradesh", for the entry against Serial Number 13, the following entry shall be substituted, namely:—

"Shri Anand Sugar Mills, P.O. Khalilabad, District Basti.";

(2) under the heading "Tamil Nadu", for the entry against Serial Number 2, the following entry shall be substituted, namely:—

"Palar Sugars Private Ltd., P.O. Mailpatti, District North Arcot.".

[No. 2-1/70-S. Py.]

R. S. TALWAR, Jt. Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1970

स० का० नि० 1059/आवश्यक वस्तु/शर्करा.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (3ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा शर्करा (कीमत अवधारण) आदेश, 1970 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

1. यह आदेश शर्करा (कीमत अवधारण) अष्टम संशोधन आदेश, 1970 कहा जा सकेगा।

2. शर्करा (कीमत अवधारण) आदेश, 1970 की अनुसूची II में :—

(1) "पूर्वी उत्तर प्रदेश" शीर्षक के नीचे क्रम संख्या 13 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"श्री आनन्द शुगर मिल्स, पो० ओ० खलीलाबाद, जिला बस्ती";

(2) "तामिल नाड" शीर्षक के नीचे क्रम संख्या 2 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"पलार शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड, पो० ओ० मेलपट्टी, जिला उत्तरी आरकाट।"।

[सं० 2-1/70-एस० पी० वाई०]

आर० एस० तलवाड़, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970